राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बाबूलाल / देवीसहाय

तारीख हुक्म	316/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/9/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद एवं प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु प्रस्तुत हुई। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दिनांक 04/02/2020 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। दिनांक 05/03/2020 की पेशी दी गयी। जिसमे मात्र अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आये, अत: शेष अप्रार्थी की तलबी हेतु तारीख पेशी दिनांक 13/03/2020 दी गयी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने शेष अप्रार्थीगणके नोटिस पेश नही किये एवं शेष अप्रार्थीगण पर तामिल हुये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13/03/2020 की आदेशिका अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब नियत कर दी गयी एवं निरन्तर दिनांक 27/08/2020 तक इसी हेतु तारीख पेशियाँ तब्दील की जाती रही। चूँकि प्रार्थना पत्र के नोटिस प्रार्थी/अपीलार्थी पर तामिल हेतु प्रस्तुत नही हुये। अत: यह स्वभाविक है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश जैर अपील की जानकारी समयावधि में नही हो सकी। जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपील जानकारी की दिनांक को अन्दर मियाद प्रस्तुत होना शुमार किया जाता है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पर भी पक्षकारान की और से बहस की गयी है। जिसमे अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पो. ने घोषणा का वाद पेश किया चूँकि प्रशनगत आराजी अनुसूचित जनजाति की खातेदारी की आराजी है जिसमे लडकियों को अपने पिता की खाते की आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो.द्वारा विभिन्न न्यायालयों की नजीरे भी पेश की जाकर निवेदन किया की अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई आधार नही बनता। अत: अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमाया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	316/2020 बाबूलाल / देवीसहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी ने प्रार्थी/अपीलार्थी को वाद में अप्रार्थी संख्या 2 समायोजित किया है एवं उनके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय से एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी प्राप्त किया हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय से उन पर तामिल नही करा कर प्रार्थना पत्र पर बहस भी नही क्र रहे है। अभिभाषक प्रार्थी ने हमारा ध्यान जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3(ए) की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था की वे अपने एकपक्षीय दिये हुये आदेश पर दोनों पक्षों को सुनकर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने विभिन्न न्यायालयों की नजीरे प्रस्तुत करते हुये बहस में निवेदन किया कि अनुसूचित जनजाति के खाते की आराजी के सन्दर्भ में यदि कोई पुरुष उतराधिकारी उपलब्ध न हो तो उसकी पुत्री को अधिकार प्राप्त होते है। इस सन्दर्भ में ओल्ड हिन्दू विधि मुल्ला के आर्टिकल पद का उल्लेख करते हुये बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी प्रशनगत आराजी के रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार के विरुद्द जो एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी है, वह कानून विरुद्द होने से निरस्त की जावे। हमने अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर गौर किया एवं अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया अपील के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 का अवलोकन किया, जिसमे प्रशनगत आराजी के सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी का ½ हिस्से हेतु नाम दर्ज है। जहाँ तक अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उठाई गयी आपत्ति की "अनुसचित जनजातियो में लडकियों को कृषि आराजीयात के कोई अधिकार प्राप्त नही होते।" यह बिन्दु वाद की सुनवाई के दौरान पूर्णरूप से विधिवत निस्तारण योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विरुद्द प्रस्तुत इस अपील के स्तर पर इस बिन्दु पर विचार नही किया जा सकता। मूल रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
316/2020	बाबूलाल / देवीसहाय	

रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना प्रथमद्रष्टया उचित प्रतीत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/02/2020 निरस्त किया जाता है एवं चुंकी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समक्ष विचाराधीन है जिस पर पक्षकारान की विस्तुत सुनवाई होना अभी शेष है। अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुन: प्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिअनुसार निर्धारित समयावधी में किया जावे। तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है एवं पक्षकारान को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे इस न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ दिनांक 01/10/2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18/9/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर